भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3386
गुरुवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों का सीमित उपयोग

3386. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विमानपत्तनों के सीमित उपयोग के क्या कारण हैं;

(ख) क्या ऐसे विमानपत्तनों से कोई नियमित नागरिक उड़ानें संचालित नहीं की जा रही हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में कितने विमानपत्तनों को पट्टे पर दे दिया गया है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि अभी तक कई विमानपत्तनों से कोई नियमित नागरिक उड़ान सेवा शुरू नहीं की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का ऐसे विमानपत्तनों से नागरिक उड़ानों का प्रचालन यथाशीघ्र शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): कुछ हवाई अड्डों का कम उपयोग होने के कई कारण हैं, जैसे केवल विज़ुअल फ्लाइट रूल्स (वीएफआर) वाले हवाईअड्डों पर दिन के समय रनवे प्रतिबंध, खराब दृश्यता की स्थिति, विमानों की कमी, लीज़ से जुड़ी समस्याएँ, एयरलाइनों द्वारा अस्थायी रूप से सेवाएँ बंद करना, मार्गों का नवीनीकरण और यात्रियों की कम संख्या होना।

(ख) से (ङ): देश के कुछ हवाईअड्डों पर अनुसूचित उड़ान परिचालन नहीं होता है, जिसका मुख्य कारण एयरलाइनों के परिचालनात्मक और व्यावसायिक सरोकार हैं। मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम को निरस्त किए जाने के बाद भारत में घरेलू विमानन क्षेत्र को विनियमन मुक्त कर दिया गया था । एयरलाइनें किसी भी प्रकार के विमान के साथ अपनी क्षमता बढ़ाने तथा ऐसे बाज़ारों और नेटवर्कों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जहां वे सेवाएँ प्रदान करना चाहती हैं। इसलिए, यह एयरलाइन प्रचालकों पर निर्भर करता है कि वे अपनी परिचालन और व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाईअड्डे से या हवाईअड्डे के लिए हवाई सेवाएँ शुरू करें अथवा सेवाओं का विस्तार करें।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई)) ने अपने आठ हवाईअड्डों नामत: दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए दीर्घकालिक पट्टा आधार पर पट्टे पर दे दिया है।

****